न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 51/2022 निर्णय दिनांकः—18-12-2025
(जीसीएमएस संख्या 2022/192)

1. हजारी पुत्र हरलाल पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. बजरंग पुत्र हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. हंसराज पुत्र हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. बिरमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. रोशनी पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. अनोपा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. चावली उर्फ बिरमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. कमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. रेसी पत्नी हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. भंवरलाल पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. ओमप्रकाश पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. लिछमण पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. परमा पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. असमानी पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
15. सारदा पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. रोशनी उर्फ द्रोपदी पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

17. धापू पत्नी चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
18. बाली पत्नी स्वं बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
19. हेतराम पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
20. बनवारीलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
21. बृजलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
22. बाबूलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
23. भंवरी पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
24. चावली पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
25. कमा पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
26. सुन्दर देवी पत्नी स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
27. रामस्वरूप पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
28. दलीप पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
29. जयपाल पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
30. श्रवण पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
31. गुड्डी पत्नी स्वं ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
32. सुरेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
33. प्रेम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
34. सेलुराम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
35. रामगोपाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
36. हडमान पुत्र स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

37. भंवरलाल पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
38. गोरधनराम पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
39. चन्दूराम पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
40. बृजलाल पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
41. सोनी पुत्री स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. रामजस पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. केशुराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. लिछमा पत्नी मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. रामनिवास पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. छेलूराम पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. सुखराम पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. राजेसवरी पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. शर्मिला पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. कौशल्या पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. हड़मानराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

1. जूगताराम पुत्र स्व. तुलछी पुत्री स्व. बगडूराम पत्नी रामचन्द्र निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. बजरंगलाल पुत्र स्व. तुलछी पुत्री स्व. बगडूराम पत्नी रामचन्द्र निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. संदीप नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. अभिषेक नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
5. रामकिशन नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
6. मुमल पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. चावली पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. रामप्यारी पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. राधा पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. मोहनी पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. किस्तुरी पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. शांति पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. बिरमा पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2020 व
संशोधित डिक्री दिनांक 18–12–2020
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

2. अपील संख्याः 52/2022
(जीसीएमएस संख्या 2022/193)

1. हजारी पुत्र हरलाल पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. बजरंग पुत्र हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. हंसराज पुत्र हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. बिरमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. रोशनी पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. अनोपा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. चावली उर्फ बिरमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. कमा पुत्री हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. रेसी पत्नी हरचंद जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. भंवरलाल पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. ओमप्रकाश पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. लिछमण पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. परमा पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. असमानी पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
15. सारदा पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. रोशनी उर्फ द्रोपदी पुत्री चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
17. धापू पत्नी चुनाराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
18. बाली पत्नी स्वं बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
19. हेतराम पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
20. बनवारीलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
21. बृजलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
22. बाबूलाल पुत्र स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

23. भंवरी पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
24. चावली पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
25. कमा पुत्री स्व बगडूराम पुत्र साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
26. सुन्दर देवी पत्नी स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
27. रामस्वरूप पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
28. दलीप पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
29. जयपाल पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
30. श्रवण पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
31. गुड्डी पत्नी स्वं ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
32. सुरेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
33. प्रेम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
34. सेलुराम पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
35. रामगोपाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
36. हडमान पुत्र स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
37. भंवरलाल पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
38. गोरधनराम पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
39. चन्दूराम पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
40. बृजलाल पुत्र स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
41. सोनी पुत्री स्व. जमना पुत्री स्व. साजन जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. रामजस पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. केशुराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. लिछमा पत्नी मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. रामनिवास पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. छेलूराम पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. सुखराम पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. राजेसवरी पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. शर्मिला पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. कौशल्या पुत्री मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. हड़मानराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

1. जूगताराम पुत्र स्व. तुलछी पुत्री स्व. बगडूराम पत्नी रामचन्द्र निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. बजरंगलाल पुत्र स्व. तुलछी पुत्री स्व. बगडूराम पत्नी रामचन्द्र निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. संदीप नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. अभिषेक नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
5. रामकिशन नाबालिग पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. तुलछी पुत्री बगडूराम जरिये कुदरतवली माता समा पत्नी रामरतन निवासी सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
6. मुमल पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. चावली पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. रामप्यारी पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. राधा पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. मोहनी पुत्री शंकरू उर्फ शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. किस्तुरी पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. शांति पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. बिरमा पुत्री रामलाल जाति बिश्नोई निवासी चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2017, 16–09–2020 व संशोधित डिक्री दिनांक 18–12–2020 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से विभाजन की निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 में तादादी 0.02

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हेक्टर, खसरा नम्बर 20 में तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 में तादादी 22.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 तादादी 11.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 तादादी 38.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 323 तादादी 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 तादादी 15.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 तादादी 29.08 हेक्टर कुल तादादी 121.27 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है, संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड खातेदारी चली आ रही है कोई बाहमी विभाजन नही हो रखा है। उक्त वादगत भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गलत बयान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर ना तो कोई विधिवत तामिल करवाई गई नाही कोई नोटिस दिया गया सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर कि गई।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत नोटिस जारी किये बिना ही व उक्त नोटिस तामीली की सुनिश्चितता किये बिना ही कैम्प कोर्ट में आक्षेपित निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में विधि का यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि कैम्प कोर्ट में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है जहॉ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प की मंशा के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के तीन वर्ष के उपरान्त अंतिम डिक्री जारी की गई है तथा उक्त डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन के प्रस्ताव जोकि संबंधित तहसीलदार से प्राप्त किये जाने होते है, का भी अभाव प्रकरण में रहा है क्योंकि विभाजन के प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने परिलक्षित होता है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन कर कहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्राथमिक डिक्री जारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करते हुए बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया उक्त प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित हुए बिना एवं समस्त पक्षकारों की उपस्थिति के बिना तैयार करवाये है। जबकि इस संबंध में विधि में स्पष्ट प्रावधान निहित है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थित में प्रस्ताव तैयार करें तथा किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश की जाती है तो प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उक्त आपित्त का निस्तारण किया जाये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दि गई एवं जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे वो तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर संबंधित पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये है जो कि स्पस्ट रूप से नियम 18 से 21 अवहेलना को दर्शाता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये है व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये है। उक्त प्रस्ताव पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। **विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि** विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग–अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट्स मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ विकल्प को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006 पेज 443, आरआरडी 2017 पेज 473, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 258, आरआरटी 2009 पार्ट II पेज 841, आरआरटी 2022 पार्ट I पेज 135, आरआरडी 1992 पेज 124 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट्स द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 में तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 20 में तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 में तादादी 22.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 तादादी 11.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 तादादी 38.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 323 तादादी 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 तादादी 15.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 तादादी 29.08 हेक्टर कुल तादादी 121.27 हेक्टर के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्टस अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये थे एवं उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 193, 608, एआईआर 1977 पेज 182, आरआरडी 1990 पेज 20 व आरआरडी 1994 पेज 693 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलें दिनांक 22–06–2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नही करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट्स को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे व उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक विजयसिंहपुरा तहसील कोलायत के खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 में तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 20 में तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 21 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 में तादादी 22.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 129 तादादी 11.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 तादादी 38.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 323 तादादी 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 324 तादादी 15.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 तादादी 29.08 हेक्टर कुल तादादी 121.27 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों की सहमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हो, तथा जहॉ वादग्रस्त भूमि के बाबत् विवाद का निर्धारण पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैम्प हेतु निर्धारित मानदण्डों में यह स्पष्ट अभिलिखित किया गया है कि कैम्प न्यायालय के माध्यम से केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया जाना चाहिए, जहॉ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति स्थापित हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों यथा आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों द्वारा प्रकरण में आपसी सहमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया जाना स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की राजस्व कैम्प की मंशा के विपरीत कारित की गई कार्यवाही परिलक्षित होती है।

विभाजन के मामलों में विधि का यह सर्वमान्य प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर पक्षकारों की उपस्थित में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जावे। इस संबंध में विभाजन के नियम 18 से 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये है। जोकि निम्न प्रकार है:–

<u>नियम 18 – जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना</u> – एक जोत के विभाजन तथा लगाने के कारण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुतार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा।

<u>नियम 19 – करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन –</u> यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सहअभिधारी किसी करार पर आते है तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा।

<u>नियम 20 – सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन –</u> नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम

न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गये वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वो बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालना किया जावेगा।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपाति होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहॉ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ) जहॉ तक संभव है, विद्यमान खेतों के टुकड़ें नहीं किये जायेंगे।
(ड़) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

करार द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा जोत का विभाजन

नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन करना – तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गा भू–खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

उक्त प्रावधनों के अनुसार सभी पक्षकारों के धारण की भूमि/कब्जे काश्त की भूमि/अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि/रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा स्थापित किये गये है। उक्त प्रावधान की पालना आज्ञापक है। प्रस्तुत मामलें में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नजरी नक्शा तैयार करते समय संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं आकर पटवारी द्वारा नजरी नक्शें तैयार करना व उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊण्टर साईन) अंकित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जोकि विभाजन के नियम 18 से 21

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की पूर्णरूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये व अपीलांट्स व अन्य पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से जोत विभाजन के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2017 पेज 473 मे अभिलिखित किया गया है किः– Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules – Rr 18 to 21 – Reference – Preparation of proposal for division by the Tehsildar is whether mandatory and/or he may delegate the powers – Held – Provision of Rr. 18 to 21 are mandatory and Tehsildar himself inspect the site and prepare the proposal for division of holdings. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 281 में अभिलिखित किया गया है किः– Rajasthan Tenancy Act, Section 224 – Trial Court passed a final decree in a suit of division of holding – First appeal against this order was set aside – Second appeal before Board – Held – Issue for decision is whether it is mandatory for the Tehsildar to visit site and prepare partition proposals himself – Section 53 (2) of RTA provides two modes of divison – (1) By agreement between co-tenant and – (2) By decree of the Court for which Rule 18 to 21 of 1955 provides the modus operandi- Larger bench of the Board has clarified that Tehsildar may entrust the ministrial work of preparation of map and filling of colours etc. to his subordinates. But it is imperative for Tehsildar to prepare partition

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

proposal/report under his own seal and signature – Courts below could not appreciate this legal position and committed patent illegality – Case remanded with directions.

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों जिनमें इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार स्वयं को मौके पर उपस्थित आकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। जिसका अभाव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा एवं विभाजन के प्रस्ताव से जाहिर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 11—06—2017, 16—09—2020 व संशोधित डिक्री दिनांक 18—12—2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 18-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर